

प्रेस नोट

जनपद: भदोही

दिनांक: 20/09/2026

थाना सुरियावां पुलिस द्वारा मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

घटना /गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 18.09.2026 को रात्रि करीब 08:10 बजे वादी द्वारा तहरीर दी गई कि विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर लाठी-डण्डा, ईंट व लोहे के हथियार लेकर उसके घर पर पहुंचकर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की गई। घटना में वादी के पिता के सिर में गंभीर चोट आने सहित परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोटें आईं तथा घर एवं वाहन में तोड़फोड़ की गई। वादी द्वारा थाना सुरियावां पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 302/2026 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 20.09.2026 को थाना सुरियावां पुलिस द्वारा उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त उदयराज उम्र 47 वर्ष को बसवापुर चौराहा से गिरफ्तार किया गया। अन्य फरार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर तलाश जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

उदयराज पुत्र जवाहर निवासी खरगशेनपट्टी, थाना सुरियावां, जनपद भदोही उम्र 47 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 धीरज यादव व हे0का0 अच्छेलाल बिन्द्रा, थाना सुरियावां, जनपद भदोही।